| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 4.12.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इंतजार जवाब में दिनांक 11.12.25 को पेश हो। 04/12/25 |
| 11.12.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इंतजार जवाब में दिनांक 12/12/25 को पेश हो। 11/12/25 |
| 12/12/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा अवलोकन किये गये वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। वादी चतरा पिता नाथू रावत हाल बमलक निवासी धनतियाबाजी तहसील डूंगला की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश मेनारिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 33 आर.टी.ए. के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा गुढा पंचवार मरुख बड़वाई के खाता संख्या 14 व 18 में वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम काजु अंकित हो गया है जबकि वादी के पिता का नाम नाथू है तथा ग्राम में भी नाथू के नाम से जाना पहचाना जाता है। वादी के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भिन्नता होने से वादी अपनी रजिस्टरी की आराजी में अपने पिता का नाम संशोधन करवाना चाहता है। तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चतरा पिता काजु के बजाय चतरा पिता नाथू दर्ज करने की घोषणा की डिक्री चाही गई है। प्रस्तुत हुए वाद पत्र की बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर सत्विकी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से अदिये सम्मन नोटिस तलब कर जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक /राजस्व/2025/852 दिनांक 11.12.2025 के द्वारा अवगत कराया कि वादी चतरा पिता नाथू की सुहदैनी संलग्न रजिस्टरी की भूमि [illegible] वाजी गुढा के खाता संख्या 14 व 18 में वर्णित आराजी [illegible] वादी चतरा के दादाजी [illegible] चतरा पिता नाथू के [illegible] पिता काजु दर्ज हो गया है जो कि गलत है जिसको चतरा पिता नाथू दर्ज किये जाने की आशंका की गई है। इन पत्रावली का एवं संबंधित राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों का गहनतापूर्वक

12/12/25
उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:36:27 IST
Reason: SelfAttested

अभिषेक प्रिंटर्स, डूंगला-9413403527

# FORM No. III
## फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी (नियम 26) उपखण्ड अधिकारी
डूंगला मुकाम डूंगला
अदालत जिला-चित्तौड़गढ़ जिला-चित्तौड़गढ़
चतरा बनाम सरकार
नम्बर मुकदमा क्र-वर वादपत्र नं. 1301/25 सन् 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अवलोकन कर परीक्षण किया गया। तत्पश्चात पाया गया कि मौजा धनतिया बाजी गुढा के खाता संख्या 14 व 18 में वर्तमान समय में दर्ज अस्तुत चतरा पुत्र काजु के बजाय चतरा पिता नाथू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा रजिस्टरी की घोषणा का आदेश दिया जाता है। क्योंकि पर्याप्त सुविधा देकर संलग्न पत्रावली थे। निर्णय खुले न्यायालय में सिखाया जाकर सुनाया गया। उपरोक्त फैसला शुमार देकर नम्बर से समाप्त। 12/12/25 | |

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner